रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 302] नई दिल्ली, बुधवार, जून 13, 2001/ज्येष्ठ 23, 1923

No. 302] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 13, 2001/JYAISTHA 23, 1923

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जून, 2001

सा. का. नि. 431(अ).—केन्द्रीय सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकता पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित कलकता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार) संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

अनुसूची

कलकत्ता कर्मचारी पत्तन न्यास चिकित्सा परिचर्या व उपचार (तृतीय संशोधन) विनियम, 1996

1. महपत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से कलकता पत्तन न्यास का न्यासी मंडल कलकत्ता पत्तन न्यास के कर्मधारियों के लिए (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम, 1989 में संशोधनार्थ निम्नलिखित विनियम बनाता है।

1. संक्षिप्त नाम

इस विनियमों को कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) तृतीय संशोधन विनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(i) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू हो जाएगा।

2. कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या व उपचार) विनियम 1989 में, :—

(i) विनियम 3 के उप-विनियम (i) को विस्थापित किया जा सकता है।

(ii) विनियम 3 के उप विनियम (एम) के (i) विनियम 3 का उप विनियम (एम) के (एम) तथा विनियम 3 का उप विनियम (ओ) को (एन) से पुनर्स्थान्तारित किया जाएगा।

(iii) उप विनियम 4 (ii) तथा 4 (iii) को निम्नलिखित विनियम 4(ii) के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :—

कलकत्ता व हल्दिया के कर्मचारी, चाहे वह बोर्ड के आवास में रहते हों या नहीं, ऐसी बीमारी से पीड़ित हो जिससे वह बोर्ड के अस्पताल या डिस्पेंसरी में जा पाने में असमर्थ हो तो अपने चुनाव के व्यक्तिगत चिकित्सक द्वारा चिकित्सा परिचर्या तथा उपचार अपने निवास पर करवा सकता है। बीमारी की गंभीरता के संदेह के मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्णय ही अंतिम होगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत चिकित्सा का अधिकतम

शुल्क 50/- रु. प्रति दिन या बोर्ड द्वारा समय-समय पर पुनर्निधारित दर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन पर बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाएगा। विनियम 11 के सीमाओं के अंतर्गत मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणित किए जाने पर चिकित्सा परीक्षण सहित चिकित्सा खर्च का भुगतान किया जाएगा। दवाओं पर हुए खर्च का सम्पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

(iv) विनियम 4 के उप विनियम (iv) को (iii)के रूप में जाना जाएगा।

(v) विनियम 7 के अंतर्गत निम्नलिखित विनियम समाविष्ट किया जा सकता है :—

मूल वेतन प्रतिमाह रु. 3230/- या कम पाने वाले कर्मचारियों को उनके या उनके परिवार के अन्तरंग चिकित्सा के दौरान अस्पताल या टी.बी. आरोग्यशाला को भुगतान किए गए आहार-प्रभार का पूर्ण भुगतान किया जाएगा।

आहार-प्रभार निम्नलिखित प्रकार से विनियमित किया जाएगा :—

(अ) जहां अस्पताल द्वारा संयुक्त रूप से (सपाट) प्रभार लिया जाता है, जिसमें (1) आहार (2) आवास (3) साधारण नर्सिंग तथा (4) चिकित्सा तथा सर्जिकल सेवा शामिल हो, तो संयुक्त प्रभार का 20% आहार-प्रभार के रूप में माना जाएगा।

(ब) जहां अस्पताल द्वारा प्रभारित संयुक्त (सपाट) प्रभार में मात्र (1) आहार, (2) आवास, (3) साधारण नर्सिंग प्रभार हो तथा चिकित्सा एवं सर्जिकल सेवा के लिए प्रभार न हो, तो संयुक्त प्रभार का 50% आहार-प्रभार के रूप में माना जाएगा।

(vi) विनियम 10 में "और उसके साथ रहता/रहती" शब्द को तीसरी तथा पांचवी पंक्ति से विस्थापित किया जाएगा।

(vii) विनियम 10(ङ) को विस्थापित किया जा सकता है।

(viii) विनियम 11(अ) को निम्नलिखित द्वारा विस्थापित किया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सलाह पर मण्डल के चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ द्वारा बताए गए सभी दवाओं, जिसमें सैलाइन या किसी किस्म का ड्रिप, रक्त, ऑक्सीजन तथा जी-रक्षक उपकरण, जिसमें पेसमेकर तथा पल्स जेनरेटर उपादान जैसे ब्लड ट्रान्सफ्यूजन सेट, कृत्रिम श्रवण उपकरण, कृत्रिम इलेक्ट्रॉनिक लारिन्स, ड्रेसिंग सामग्री, केप बैण्डेज, डिसपोसेबल सिरिंज से संबंधित प्रभार, मण्डल द्वारा नि:शुल्क दी जाएगी। ऐसा कोई मद जो मंडल द्वारा न दी गई हो तथा जहां रोगी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन पर नरसिंग होम या लोक अस्पताल प्राधिकरण में भर्ती किया गया हों, विनियम 4 के उप-विनियम (ii)के तहत व्यक्तिगत चिकित्सक के द्वारा निर्देशित, सामग्री खरीद सकता है तथा मंडल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन पर लागत की प्रतिपूर्ति पूर्ण रूप करेगा। पोलियो पीड़ित रोगियों के लिए बूट तथा कृत्रिम उपकरण की प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा एक कर्मचारी के पूरे कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत रूप से लागत का 3 गुणा देय होगा। इसी प्रकार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के प्रमाणन पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को आवश्यक सभी प्रकार के कृत्रिम उपकरण के लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। कृत्रिम श्रवण यंत्रों के मूल्य की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। कृत्रिम श्रवण यंत्र के मामले में भुगतान सीधे आपूर्ति एजेन्सी को की जाएगी, न कि संबंधित कर्मचारी को। आंख के सुधार हेतु किये गए उपचार पर होने वाले चिकित्सा खर्च की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी। किसी प्रकार के संदेह, कलह या विचारों की विभिन्नता होने पर, उपर्युक्त विषयों पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी का मत अन्तिम होगा।

(ix) विनियम 11 (ब) को निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा निजी चिकित्सकों को दी जाने वाली वास्तविक राशि या 50 रुपए की वह अधिकतम सीमा की उस राशि को, जो भी हो, जिसे बोर्ड, द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जा सकती है, उसकी विनियम 4 के उप विनियम (11) के अंतर्गत प्रतिपूर्ति की जा सकती है।

(x) विनियम 11 (सी) (डी) में उल्लिखित शब्दों "रु. 30 प्रति पाली तथा रु. 15 प्रति पाली" को "रु. 50 प्रति पाली तथा रु. 30 प्रति पाली" शब्दों से बदला जाएगा।

(xi) निम्नलिखित उप विनियम (एफ) को विनियम 11(सी) के अधीन जोड़ा जा सकता है :

कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य को यदि कोई गुर्दा दान करता है तो दान कर्ता पर होने वाले सर्जरी तथा आपरेशन के बाद होने वाले उपचार के खर्चे की प्रतिपूर्ति की जाएगी। बशर्ते कि उस उपचार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाए। दान कर्ता के साथ जाने वाले व्यक्ति का यात्रा भता भी न्यास के प्राप्तकर्ता कर्मचारी को दिए जाने वाले दर पर दिया जाएगा।

(xii) विनियम 15 के उपविनियम (ii) को हटा दिया जाएगा।

(xiii) विनियम 15 के उपविनियम (iii) को हटा दिया जाएगा।

(xiv) विनियम 15 के उप विनियम (iv) को (ii) से पुन: सांख्यित किया जाएगा और निम्नलिखित से विस्थापित किया जाएगा :

"पृथकरण की आवश्यकता रखने वाली अत्याधिक संक्रामक बीमारियों जैसे हैजा, चेचक, प्लेग, टिटनस, जैसे मामलों की संक्रामक रोगों के उपचार हेतु आइ.डी. अस्पतालों में होने वाले मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुमोदन पर प्रतिपूर्ति की जाएगी। तीव्र ऐन्टीरियर पोल्ली माई लिटिस तथा डिप्थिरिया के मामलों की चिकित्सा तभी की जा सकती है जब लोक अस्पतालों में संबंधित वार्डों में भर्ती की व्यवस्था नहीं की जा सके"।

(xv) विनियम 15 के उप विनियम (vi) तथा (vii) को क्रमश: (iii) तथा (iv) से पुन: सांख्यित किया जा सकता है।

[फा. सं. पी. आर. 12016/20/96-पी.ई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : कलकत्ता पत्तन न्यास कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या एवं उपचार) विनियम, 1989 को सरकार द्वारा 9 जून 1989 को जी एस आर 610 (ई) के तहत स्वीकृति दी गई थी तथा उसे 9 जून, 1989 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित की गई थी। प्रथम संशोधन विनियम को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई और उसे जी.एस.आर. संख्या 633(ई) दिनांक 28 सितम्बर, 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई। द्वितीय संशोधन विनियम सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया और जी.एस.आर. सं. 169 (ई) दिनांक 3 अप्रैल, 1998 के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th June, 2001

G. S. R. 431(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124 read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963) the Central Government hereby approves the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Amendment Regulations, 2001 made by the Board of Trustees of the Port of Calcutta Port Trust as set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Regulations shall come into force on the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

Calcutta Port Trust Employees Medical Attendance and Treatment (3rd Amendment) Regulations, 1996

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act,1963 (38 of 1963) and with the sanction of the Central Government under Sub-section (1) of Section 124 of that Act, the Board of Trustees for the Port of Calcutta hereby makes the following regulations to amend the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 :-

1. Short Title

These Regulations may be called the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) 3rd Amendment Regulations, 2001.

i) It shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 :-

i) Sub-Regulation (l) of Regulation 3 may be deleted.

ii) Sub-Regulation (m) of Regulation 3 shall be renumbered as (l) and sub-regulation (n) of Regulation 3 shall be renumbered as (m) and Sub-regulation (o) of Regulation 3 shall be renumbered as (n).

iii) Sub-Regulations 4(ii) and 4(iii) shall be deleted and be substituted by the following Sub-regulation 4( ) .

Employees, irrespective of whether they have in Board's quarters or not, either at Calcutta or Haldia shall be entitled to receive medical attendance and treatment at their residence from private doctor of their choice if the illness is so severe that the patient cannot go to any of the Board's hospitals or dispensaries. In case of any doubt as regards severity of the illness, the decision of the Chief Medical Officer shall be final. The actual fee of a private doctor subject to a maximum of Rs.50/- per day or as may be revised from time to time by the Board shall on certification by the Chief Medical Officer shall be reimbursed by the Board. Cost of treatment including cost of medical investigation will be reimbursed subject to ceilings under Regulation 11 on certification by the Chief Medical Officer. Cost of medicines shall be reimbursed in full.

iv) Sub-regulation (iv) of Regulation 4 shall be renumbered as (iii).

v) The following sub-regulation (d) under Regulation 7 may be incorporated :-

Diet charges paid to hospitals and TB Sanatoria etc. by the employees and members of their families during the course of their indoor treatment should be reimbursed in full where the basic pay of the employee is not more than Rs.3230/- per month.

Diet charges should be regulated as follows :-

(a) Where the flat charge made by the hospital includes (1) diet (2) accommodation, (3) ordinary nursing, and (4) medical and surgical services, 20% of the flat charges will be reckoned as diet charges; and

(b) Where the flat charge made by the hospital includes (1) diet, (2) accommodation, (3)

medical and surgical services, 50% of the flat charge will be reckoned as diet charges.

vi) In Regulation 10 the words "and residing with him/her" shall be deleted from 3rd and 5th line.

vii) Regulation 10(d) may be delted.

(viii) Regulation 11(A) shall be substituted by the following :-

All medicines including saline or any kind of drip, blood, oxygen and life-saving appliances including pace-maker and pulse generator, items like blood transfusion set, artificial hearing aids, artificial electronic larynx, Orthopaedic implants, dressing material, crape bandage, disposable syringe and anciliary charges prescribed by the Board's Medical Officer or by Specialists consulted on the advice of the Chief Medical Officer, shall be supplied free of cost by the Board. Any such item not supplied by the Board and prescribed by a private doctor under Sub-regulation (ii) of Regulation 4 and by the Nursing Home or the Public Hospital authorities, where patient has been admitted with the approval of the Chief Medical Officer may be purchased and the Board, shall, on certification by the Chief Medical Officer reimburse the cost in full. Cost of boots and artificial appliances for patients suffering from Polio may be reimbursed for a maximum of limt of three times in respect of an individual during the entire service period of an employee. Similarly, on certification of the Chief Medical Officer all types of artificial appliances require in deserving cases including those required for persons physically handicapped shall also be reimbursed. Cost of artificial hearing aids may be reimbursed. In case of artificial hearing aids, payment should be made

direct to supply agency and not to employee concerned. Medical expenses incurred for the treatment of correction of Squint (eye) shall be reimbursed. In case of doubts, disputes or differences of opinion arising out of any of the above matters, the opinion of Chief Medical Officer shall be final.

ix) Regulation 11(B) may be substituted by the following

The actual fees of the private doctor subject to maximum of Rs.50/- per day or such amount as may be sanctioned by the Board from time to time will be reimbursed under Sub-Regulation (ii) of Regulation 4.

x) The words "Rs.50/- per shift and Rs.30/- per shift" shall replace the words "Rs.30/- per shift and Rs.15/- per shift" respectively in Regulation 11(C)(d).

xi) The following Sub-regulation (f) under Regulation 11(C) may be incorporated :-

"Expenses incurred for Surgery and post-operative treatment of the donor of the kidney to the employees or their family members will be reimbursed subject to certification of the treatment by the Chief Medical Officer. TA of the donor may be admissible in case of accompanying person at the rates applicable to the recipient employee of the Trustees.

xii) Sub-Regulation (ii) of Regulation 15 may be deleted.

xiii) Sub-Regulation (iii) of Regulation 15 may be deleted.

xiv) Sub-Regulation (iv) of Regulation 15 may be renumbered as (ii) and substituted by the following ;

"Acute infectious diseases requiring segregation viz., Cholera, Small Pox, Plague, Tetanus. Expenses incurred for treatment of infectious diseases at ID Hospital may be reimbursed subject to approval of the

Chief Medical Officer. Acute Anterior Polyomylities and cases of Diptheria may be treated only if hospitalisation in the relevant wards of any of the Public Hospitals cannot be arranged".

xv) Sub-Regulation (vi) and (vii) of Regulation 15 may be renumbered as (iii) and (iv) respectively.

[F. No. PR-12016/20/96-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

NOTE : The Calcutta Port Trust Employees' (Medical Attendance & Treatment) Regulations, 1989 were sanctioned by the Government vide GSR 610(E) dated 9th June, 1989 and published in the Gazette of India (Extraordinary) dated 9th June, 1989. The 1st Amendment Regulations have been sanctioned by the Government and published in the Gazette of India vide G.S.R. No.633(E) dated 28th September, 1993. The Second Amendment Regulations have been sanctioned by the Government and published in the Gazette of India vide G.S.R. No.169(E) dated 3rd April, 1998.